फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– [illegible] लाल
विषय मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.
क्रमांक

विपक्षी :– उदयलाल
पत्रावली संख्या : 10/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा द्वारा विपक्षी संख्या 1, 7 की तरफ से वकालतनामा पत्र पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 7 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 7 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जातई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 7 की खातेदारी भूमि है। शेष विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने सीमा विवाद होने की स्थिति रहती हैं। जिससे बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के हेतु प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 317 की आराजी नम्बर 342, 343 किता 02 रकबा 1.3400 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड का 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्या[illegible] से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरग[illegible] के दौरान [illegible] की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested